Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 16/2016 सी.आई.एस.क्र.– 16/2016

कालीकांत झा बनाम सीताम्बर झा एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
09.10.2025	वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। वादी की ओर से शपथ पत्र द्वारा समर्थित धारा – 5 के अंतर्गत विलंब माफी का आवेदन पत्र दाखिल किया गया है जिसपर विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश – 22, नियम – 4 दिवानी प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 विलंब माफी के आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है इस वाद के प्रतिवादी सं0 1 सीताम्बर झा की मृत्यु दिनांक 30.04.2023 एवं प्रतिवादी सं0 8 अरूण झा की मृत्यु दिनांक 29.04.2024 को हो गयी है। सीताम्बर झा अपने पीछे अपने एक पुत्र पंकज झा एवं प्रतिवादी सं0 8 अरूण झा अपने पीछे अपनी पत्नी रानी देवी दो पुत्र संतोष झा एवं मनोहर झा को छोड़कर मरे हैं तथा इस वाद के प्रतिवादी सं0 18 की मृत्यु दिनांक 11.12.2023 को हो गयी है जो अपने पीछे अपनी पत्नी उषा देवी को छोड़कर मरे हैं। वादी को उक्त प्रतिवादीगण के मृत्यु की जानकारी नहीं थी जिस कारण से वादी के द्वारा नियत समय के भीतर यह आवेदन नहीं प्रस्तुत किया जा सका है। अतः विनम्र निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुये मृत प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान को वाद में प्रतिस्थापित किये जाने की कृपा की जाये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिउत्तर न प्रस्तुत करके मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के प्रतिवादी स0 1, 8 एवं 18 की मृत्यु हो गयी है परंतु प्रतिवादी के द्वारा मृत्यु की सूचना दिनांक 30.01.2024 को दी गयी है। मृतक प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान वाद के आवश्यक पक्षकार हैं तथा वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण हेतु उन्हें वाद में प्रतिस्थापित किया जाना न्यायोचित है। जिस कारण से वादी के इस आवेदन को **स्वीकृत** कर वाद पत्र से प्रतिवादी सं0 1, 8 एवं 18 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के आलोक मे वाद पत्र को संशोधित करे तत्पश्चात प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन सामग्री दाखिल करें। वाद आगामी दिनांक 04.11.2025 वास्ते सम्मन सामग्री। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	